न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
75/2019/प्रा.पत्र/2019	06.12.2019	15.07.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी 148, कृषि मण्डी के पीछे बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.

2– मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थी अनु.।

:–**निर्णय**–: दिनांक **15.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.07.2019 को समय 03:39 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुनिल कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)** दुकान में फ्रीजर में 250–250 ग्राम पॉलीथीन पैक में रखा हुआ था, जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 250–250 ग्राम के चार पॉलीथीन पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा 250–250 ग्राम के चार पॉलीथीन पैक **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)** को 250–250 ग्राम के पैकेटों को बराबर–बराबर (एक भाग 250 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में अलग–अलग रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–2218 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2218 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2191 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1653/एक्ट/2019/1172 दिनांक 24.07.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)**एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zz)(v) व 3(1)(zz)(vii) का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन को डाक से भिजवायी गयी।

श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 46 की उप धारा 4 के तहत समयावधि में नमूना पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर कर्नाटक मय मेमोरेन्डम भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जाचं रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यू.सी.एल./एफ.एस.एस.ए./368एफ/2019 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं।

अत:प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस दिनांक 27.04.2022 को बाद तामिल प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ एवं लगातार अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **ड्राई फूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फूट्स पिस्ता खुला (Dry Fruits Pista Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0